ज़िला क्रीडा अधिकारी देहरादून की कलम से

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) ख के अनुपालन में सूचना का स्वत: प्रकाशन की दृष्टि से 17 बिन्दुओं का मैनुअल अधतन किया गया है|

अधिनियम की धारा 5(1) व (2) एवम 19(1) के अंतर्गत ज़िला खेल कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गए हैं|

मैनुअल- 1- संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तब्य

खेल विभाग का मुख्य उदेद्श्य खेलों के प्रति युवा वर्ग को जोड़ना एवं इसके माध्यम से युवा शक्ति को राष्ट्र के उत्थान, सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान, अनुशासन तथा प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रबल इच्छा शक्ति का निर्माण करना, जनपद के जनमानस में खेल एवं शारीरिक क्षमता विकास का अवसर प्रदान करने हेतु योजनाओं का संचालन, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं खेलों का प्रचार एवं प्रसार करना है।

उपयोगिता- जिला खेल कार्यालय, पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे-खिलाड़ियों हेतु प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगिता का आयोजन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि का विवरण है। यह हस्त-पुस्तिका विशेष रूप से जनपद के विभिन्न खेलकूद संघ, क्लब एवं खेल आयोजक एवं खिलाड़ियों के लिए विशेष उपयोगी है।
इस पुस्तिका में खेलों से सम्बन्धित शब्दावली जैसे- खेल प्रतियोगिताएं, खेल प्रशिक्षण शिविर, खेलों हेतु स्टेडियम निर्माण तथा सामान्य शब्दों का ही प्रयोग किया गया। इससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी जिला खेल कार्यालय देहरादून से प्राप्त की जा सकती है।

मैनुअल- 2- अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

जिला क्रीड़ा अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्यः-

1. जिले के खेल विभाग में आहरण-वितरण का कार्य एवं कार्यालयध्यक्ष।
2. जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एवं प्रभावी नियन्त्रण।
3. जिले में आयोजित राष्ट्रीय /राज्य प्रतियोगिताओं का आयोजन/सहयोग प्रदान करना।
4. खेल विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. जिले के खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन हेतु जिला योजना में प्रस्ताव तैयार करना व अनुमोदन करना।
6. खेल कार्यालय/स्टेडियम मैदान/तरणताल/बहुउद्देशीय का निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना साथ ही सृजित अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव एवं सुसज्जित करना।

7. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा खेलकूद प्रोत्साहन समिति का नामित अध्यक्ष के रूप में कार्य करना एवं जिला क्रीडा अधिकारी द्वारा खेलकूद प्रोत्साहन समिति का नामित सचिव के रूप में कार्य करना ।

8. अपने अधीन उप क्रीड़ा अधिकारी/सहायक प्रशिक्षक/स्थानीय प्रशिक्षकों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।

9. विभाग द्वारा आयोजित राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं/प्रशिक्षण शिविर में जिले के खिलाड़ियों को भेजना।

10. विभिन्न विभागों में आयोजित खेल प्रतियोगियों को सहयोग प्रदान करना।

11. वित्तीय योजनाओं की भौतिक एवम वित्तीय प्रगति आख्या खेल निदेशालय को समय से प्रेषित करना।

12. स्टोर का नियमानुसार रख रखाव करना।

उप क्रीड़ा अधिकारी एवं सहायक प्रशिक्षक- खेल विभाग की मुख्य योजना उद्ीयमान खिलाड़ियों को चिन्हित कर तकनीकि रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी योग्यता का पूरा दोहन करना। यह कार्य मुख्य रूप से उप क्रीड़ा अधिकारी एवं सहायक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। जिनके अन्य कार्य निम्नवत् है।

1. खेल विशेष में प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. प्रशिक्षण के उपरान्त प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को भेजना।
3. प्रतियोगिता के आयोजन में जिला क्रीड़ा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
4. छात्रावास के प्रशिक्षण के साथ ही वार्डन का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करना।
5. जिला क्रीड़ा अधिकारियों की अनुपस्थिति में जिले के खेल से सम्बन्धित सभी कार्यों का निर्वहन करना।
6. जिला क्रीड़ा अधिकारियों को अपने खेल से सम्बन्धित विकास हेतु अध्यावधिक सुझाव देना।
7. खेल से सम्बन्धित मैदान, हाल, स्टेडियम, तरणताल का रखरखाव का कार्य।
8. कार्यालय से सम्बन्धित अन्य कार्य जो उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये जायेगे।

मैनुअल- 3- विनिश्चय करने की प्रक्रिया मे पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे प्रवेयक्षण ऑर उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मलित हे, का उल्लेख-

जनपद स्तर पर ज़िला खेल कार्यालय देहरादून के लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्ठियाँ

लोक सूचना प्राधिकारी ईकाई में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का नाम एवं विवरण निम्नवत है|

जनपद स्तर

1- श्री राजेश ममगाई, ज़िला क्रीडा अधिकारी, देहरादून- लोक सूचना अधिकारी

2- मुख्य विकास अधिकारी - प्रथम अपीलीय अधिकारी|

<u>मैनुअल- 4- कृतों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम -</u>

खेल प्रशिक्षण शिविर -जिला खेल कार्यालय, देहरादून में शासन द्वारा निर्धारित खेलों में स्थानीय खेल प्रशिक्षण शिविर निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रति वर्ष संचालित किये जाते हैं। इन प्रशिक्षण शिविरों में 16 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं को उनके खेलों में पंजीकृत कर निशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित क्रीडा सामग्री निशुल्क प्रदान की जाती है। पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों से पंजीकरण शुल्क वार्षिक रुपया 135(आउटडोर) एवं रुपया 160(इंडोर) मात्र लिया जाता है, किन्तु बैडमिंटन खेल में वार्षिक शुल्क रुपया 500 तथा लान टैनिस में रुपया 1000 मात्र लिया जाता है। स्विमिंग में वार्षिक शुल्क रुपया 1500 है| शौकीय खिलाड़ियों से बैडमिंटन में प्रतिमाह शुल्क रुपया 500, लान टैनिस में प्रतिमाह शुल्क रुपया 1500 अन्य इंडोर खेलो में प्रतिमाह शुल्क रुपया 400 तथा अन्य आउटडोर खेलो में प्रतिमाह शुल्क रुपया 300 है| जिन खेलो में विभागीय प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है उनमें कान्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जाते हैं, जिनकों निम्न प्रकार खेल अर्हता के आधार पर मानदेय दिया जाता है।

तदर्थ प्रशिक्षकों की योग्यता एवं मानदेय की धनराशि प्रतिमाह-

1.	ओलम्पिक/विश्व कप प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो	-	20000
2.	का ॅमन वैल्थ एवं एफ्रोएशियन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो	-	17000
3.	अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो	-	14000
4.	एन.आई.एस. डिप्लोमाधारी है।	-	14000
5.	राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं।	-	10000
6.	अन्तरविश्वविद्यालय के खिलाड़ी है।	-	7000

2. राष्ट्रीय पर्वों एंव अन्य अवसर पर आयोजित विभिन्न जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन- राष्ट्रीय पर्व स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त, 02 अक्टूबर, एवं 26 जनवरी एवं अन्य अवसर पर जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं जूनियर, सब जूनियर,सिनियर बालक एवं बालिकाओं के जनपद के विद्यालयों, क्लबों एवं स्टेडियम की टीमों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिन पर विभाग द्वारा निम्न प्रकार व्यय किया जाता हैः-

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 150.00
2. टीम के खिलाड़ियो/आफिशियल को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर

(साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)

3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 100.00

4. उपकरण पर व्यय - 2000.00

5. पुरस्कार पर व्यय (खिलाड़ियों हेतु) - 10000.00

6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 5000.00

7. अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक) - 100.00

(प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)

8. पुरस्कार (निर्णायाकों हेतु) - 3000.00

3. राष्ट्रीय पर्वों एंव अन्य अवसर पर आयोजित विभिन्न जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन- जिला खेल कार्यालय, देहरादून द्वारा जूनियर/सब-जूनियर/सिनियर आयु वर्ग बालक/बालिकाओं की विभिन्न राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओ का आयोजन किया जाता है। जिसमें राज्य के जनपदों की अच्छी टीमों को इन प्रतियोगिताओं में आमन्त्रित किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं पर होने वाला व्यय भी प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के समन्वय से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समान ही निर्धारित होता है। इन प्रतियोगिताओं पर होने वाला व्यय के नार्मस निम्न प्रकार निर्धारित है:-

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 150.00 (200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) तक की दूरी से आने वाली टीमों को प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व एव एक दिन बाद तक तथा 200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) से ऊपर की दूरी से आने वाली टीमों को यात्रा अवधि का वास्तविकता के आधार पर भोजन भत्ता देय होगा।

2. टीम के खिलाड़ियो/आफिशियल को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर

(साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)

3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 100.00

4. उपकरण पर व्यय - 3000.00

5. पुरस्कार पर व्यय-

(क) प्रथम पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) टीम/एकल खेल - 500.00

(ख) द्वितीय पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) टीम/एकल खेल - 400.00

(ग) तृतीय पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) टीम/एकल खेल - 300.00

6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 5000.00

(शामियाना/कुर्सी/सौफा आदि)

7. विविध व्यय- (फोटोग्राफी/माईक/जलपान तथा अन्य व्यय) - 7000.00

8. अनुसांगिक व्यय (प्रतियोतिगा की पूर्ण अवधि हेतु) - 100.00

9. निर्णायाकों हेतु पुरस्कार (प्रति निर्णायक) - 500.00

10. निर्णायकों को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)

11. निर्णायकों को आफिसियेटिंग चार्जेज (प्रति निर्णायक/प्रतिदिन) - 200.00

4. जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविरो का आयोजनः- विभिन्न राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओ के आयोजन से पूर्व जनपद के चयनित खिलाड़ियो का एक विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें खिलाड़ियो का निःशुल्क सम्बन्धित खेल का प्रशिक्षण एवं निम्न लिखित सुविधायें प्रदान की जाती है।

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 150.00 (200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) तक की दूरी

से आने वाली टीमों को प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व एव एक दिन बाद तक तथा 200 कि0मी0 (पर्वतीय क्षेत्र) से ऊपर की दूरी से आने वाली टीमों को यात्रा अवधि का वास्तविकता के आधार पर भोजन भत्ता देय होगा।

2. टीम के खिलाड़ियो/आफिशियल को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)

3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/आॅफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 100.00

4. उपकरण पर व्यय - 2000.00

5. खेल किट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक) - 1000.00

(ट्रेक सूट,वार्मअप शूज, मोजा एवं खेल के अनुरूप् प्लेइंग किट)

6. उदघाटन एंव समापन पर व्यय - 1500.00

7. अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक) - 100.00(प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि हेतु)

8. विविध व्यय - 100.00

9. प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक के इतर प्रशिक्षक का मानदेय - 3000.00

10. प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या - 25

11. प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या - 01

4 (1) राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविरो का आयोजनः- विभिन्न राष्ट्रीय खेल स्तरीय खेल प्रतियोेगिताओ के आयोजन से पूर्व राज्य के चयनित खिलाड़ियो का एक विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें खिलाड़ियो का निःशुल्क सम्बन्धित खेल का प्रशिक्षण एवं निम्न लिखित सुविधायें प्रदान की जाती है।

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 150.00

2. टीम के खिलाड़ियो/आफिशियल को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)

3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक प्रति दिन - 100.00

4. उपकरण पर व्यय - 2000.00

5. खेल किट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक) - 1000.00
(ट्रेक सूट,वार्मअप शूज, मोजा एवं खेल के अनुरूप् प्लेइंग किट)

6. उद्घाटन एंव समापन पर व्यय - 1500.00

7. अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी/आफिशियल/निर्णायक) - 100.00
(प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि हेतु)

8. विविध व्यय - 100.00

9. प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त विभागीय प्रशिक्षक के इतर प्रशिक्षक का मानदेय - 3000.00

10. प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या - 25

11. प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या - 02

<u>मैनुअल- 5. लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचनाः-</u>

खेल विभाग में वर्तमान में प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख/पुस्तिकाएं खेल निदेशालय स्तर पर उपलबध हैं।

1. वित्तीय नियम सग्रंह खण्ड-2 आधार भूत नियम के विवरण तथा वेतन, भत्तो अवकाश व सेवाओं से सम्बन्धित अन्य नियमों का विवरण।

2. वितीय नियम सग्रंह खण्ड-3 यात्रा भत्ता से सम्बन्धित नियम/विवरण।

3. वितीय नियम सग्रंह खण्ड-4 सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन से सम्बन्धित नियम/विवरण।

4. वितीय नियम सग्रंह खण्ड-5 राजकीय वित्तीय संचालन की प्रक्रिया से सम्बन्धित तकनीकि अधिकारियों द्वारा लेखा रखरखाव से सम्बन्धित विवरण।

5. उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003।

6. उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चयनों की प्रक्रिया नियमावली।

7. विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

8. समय समय पर जारी शासनादेशों की गार्ड फाईल।

मैनुअल-6 . दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन है, प्रवर्गो के अनुसार विवरणः-

जिला स्तर पर-

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का परिचय	धारक/नियन्त्रणाधीन
1	2	3	4
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2	आधारभूत नियम के विवरण तथा वेतन, भत्तो, अवकाश व सेवाओं से सम्बन्धित अन्य नियमो का विवरण।	जिला खेल कार्यालय
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित नियम /विवरण।	जिला खेल कार्यालय
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-4	सेवा निवृति के उपरान्त पेंशन से सम्बन्धित नियम/विवरण।	जिला खेल कार्यालय
4	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5	राजकीय वित्तीय संसाधन की प्रक्रिया से सम्बन्धित तथा तकनीकि अधिकारियों द्वारा लेखा-रखरखाव से सम्बन्धित विवरण।	जिला खेल कार्यालय
5	विभा0 योजनाओं से सम्ब0 जारी दिशा-निर्देश के प्रपत्र	विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश हेतु पत्र	जिला खेल कार्यालय
6	बजट आवंटन की पत्रावली	निदेशालय द्वारा जारी बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली	जिला खेल कार्यालय
7	दिन-प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख (फाईल, पंजी, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाईल, कार्य विवरण चार्ट)	दिन-प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख	जिला खेल कार्यालय

मैनुअल- 7. नीति निर्धारण व कार्यान्वय के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

जिला खेल कार्यालय, पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून द्वारा खेलों के विकास हेतु खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों के सम्बन्ध में बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा जनपद में खेलकूद प्रोत्साहन समिति का गठन, जिसमें विशिष्ट खिलाड़ियों/खेल आयोजकों को सम्मिलित किया जाता है।

<u>मैनुअल- 8</u>. <u>बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पंहुच होगी।</u>

<u>जिला खेल कार्यालय, पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून के अधीन परिषद/समितियां गठित नहीं है। खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु समय समय पर खेल संघों, खेल संस्थाओं, वरिष्ठ खिलाड़ियों एवं अन्य विभागों के साथ बैठक आयोजित कर विचार विर्मश किया जाता है।</u>

<u>मैनुअल- 9</u>. <u>अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका -</u>

जिला खेल कार्यालय, पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	राजेश ममगाई	ज़िला क्रीडा अधिकारी	9410148428
2	शबाली गुरूंग	उपक्रीडा अधिकारी	9412055522
3	अनूप बिष्ट	उपक्रीडा अधिकारी	9719292397
4	दीपक रावत	उपक्रीडा अधिकारी	8057378542
5	रविन्द्र भण्डारी	उपक्रीडा अधिकारी	9897852006
6	रंजीत थापा	प्रधान सहायक	9456182661
7	अविनाश सिंह कुवंर	सहायक प्रशि0	9897035164
8	अमित कटारिया	सहायक प्रशि0	9557077786
9	प्रदीप सिंह	सहायक प्रशि0	8394904011
10	माधुरी ज्याला	सहायक प्रशि0	8650444011
11	मनीषा पंवार	सहायक प्रशि0	9105354071
12	अनुज नेगी	सहायक प्रशि0	8477003311
13	रेखा बर्त्वाल	कनिष्ठ सहा0	8979748337
14	होशियार सिंह	स्वच्छक	9997679406
15	प्रेम सिंह राणा	ग्राउण्ड स्टाफ	9758504375
16	रामलाल	चौकीदार	9012570039

<u>मैनुअल- 10- अधिकारियों एवम कार्मिकों द्वारा प्राप्त मासिक परीश्रिमिक का विवरण-</u>

क्रं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनबैंड	ग्रडे पे	कुल परिलब्धियाँ
1-	राजेश ममगाई	जिला क्रीडा अधिकारी	44900-142400	4600-00	74422-00
2-	शबाली गुरूंग	उपक्रीडा अधिकारी	44900-142400	4600-00	72433-00
3-	अनूप बिष्ट	उपक्रीडा अधिकारी	34500-112400	4200-00	58724-00
4-	दीपक रावत	उपक्रीडा अधि0	34500-112400	4200-00	54161-00
5	रविन्द्र भण्डारी	उपक्रीडा अधि0	34500-112400	4200-00	48662-00
6	रंजीत थापा	प्रधान सहायक	34500-112400	4200-00	47375-00
7	अविनाश कुवंर	सहायक प्रशि0	29200-92300	2800-00	39047-00
8	अमित कटारिया	सहायक प्रशि0	29200-92300	2800-00	39047-00
9	प्रदीप सिंह	सहायक प्रशि0	29200-92300	2800-00	39047-00
10	माधुरी ज्याला	सहायक प्रशि0	29200-92300	2800-00	39047-00
11	मनीषा पंवार	सहायक प्रशि0	29200-92300	2800-00	39047-00
12	अनुज नेगी	सहायक प्रशि0	29200-92300	2800-00	39047-00
13	रेखा बर्त्वाल	कनिष्ठ सहा0	21700-69100	2000-00	34206-00
14	होशियार सिंह	स्वच्छक	29200-69100	2800-00	49984-00
15	प्रेम सिंह राणा	ग्राउण्ड स्टाफ	18000-56900	1900-00	34316-00
16	रामलाल	चौकीदार	18000-56900	1800-00	26127-00

मैनुअल- 11. **योजनाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया-**

क्र.सं.	योजना का नाम	अग्रसारित करने वाले अधिकारी	समीक्षक अधिकारी स्वीकृति एवं अन्तिम निर्णय
1	प्रतियोगिताओं का आयोजन	जिला क्रीड़ा अधिकारी निदेशक खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून	जिला स्तर की प्रतियोगिता (राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं)
2	प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	जिला क्रीड़ा अधिकारी निदेशक खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून	जिला स्तर की प्रतियोगिताओं (राज्य स्तर की प्रति0)

वर्ष 2020-21 में जिला योजना के अन्त्तगत प्रस्तावित योजनाओं का विवरण।

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्धारित कार्यक्रमानुसार जिला खेल कार्यालय, देहरादून द्वारा जिला योजना के अन्त्तगत निम्न योजनायें संचालित की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

1-खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजनः- यह योजना खेल विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्त्तगत विभिन्न खेलों में बालक तथा बालिकाओं की विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास और अपनी योग्यता को परखने का अवसर मिलता है। इससे खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाकर राज्य/राष्ट्रीय/अन्त्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 02 अक्टूबर तथा राज्य स्थापना दिवस 09 नवम्बर को जनपद में क्रास कन्ट्री तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राज्य मुख्यालय, देहरादून में खेलों के उत्तरोत्तर विकास और अत्याधिक सहभागिता के मध्य नजर विभिन्न खेलों की जनपदीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना भी आवश्यक है, तभी व्यवहारिक रूप से अन्य जनपदों अथवा राज्यों से विकासात्मक असन्तुलन समाप्त होगा और जनपद में विद्यमान खेल विधा का अनुकूलतम उपयोग होगा। इस योजना विशेष में जनपद एवम राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन में किये गये व्यय से अपेक्षा से अधिक लाभ जन सामान्य व हर वर्ग को प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2020-21 के लिये जनपदीय व राज्य स्तर की 40 प्रतियोगितायें प्रस्तावित है, जिस हेतु वर्ष 2020-21 की जिला योजना के खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन मद में रू0 16.00 लाख (रूपये सोलह लाख मात्र) की धनराशि जनहित में प्रस्तावित है।

2-खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों का आयोजनः- यह योजना भी खेल विभाग की अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्त्तगत विभिन्न खेलों में 16 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं को खेल विशेष में खेल विभाग के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तकनीकि प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे बालक, बालिकायें अपने खेल में निखार लाने में सक्षम होते हैं, ओर जनपद, राज्य व राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं। प्रशिक्षण शिविरों में प्रत्येक खेल में प्रशिक्षकों को उनकी मांग व अवश्यकतानुसार प्रतिमाह स्थाई तथा अस्थाई क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में प्रशिक्षण शिविर योजना के अन्त्तगत 27 कैम्प संचालित किये जा रहे है। योजना विशेष में किये गये व्यय से अपेक्षा से अधिक लाभ जन सामान्य व हर वर्ग को प्राप्त हो रहा है। चालू विकास कार्यक्रम में कार्यरत स्टाफ आदि के लिये वचनबद्ध व्यय की व्यवस्था करना आवश्यक होते हुये प्रतिमाह मानदेय एवं स्थाई तथा अस्थाई क्रीड़ा सामग्री पर व्यय हेतु वर्ष 2020-21 की जिला योजना के

खेलकूद प्रशिक्षण शिविर मद में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि जनहित में प्रस्तावित है।

3-क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माणः- यह योजना भी खेल विभाग की अत्याधित महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष 2020-21 की जिला योजना के क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण मद में जिला खेल कार्यालय, पवेलियन ग्राउण्ड एवं परेड ग्राउण्ड स्थित बैडमिन्टन हाल एवं जूडो हाल के जीर्णोद्धार एवं रंगाई-पुताई कार्य हेतु क्रीड़ा प्रतिष्ठानों के निर्माण मद् में आवश्यकता होती है। कोविड-19 के दृस्टिगत धनराशि प्रस्तावित नहीं की गई है|

4-क्रीडा छात्रावास का संचालनः- वर्तमान में जनपद देहरादून में फुटबाल छात्रावास में 25 छात्रों के खेल प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा का प्राविधान है, जिनके भोजन, विद्यालय, कीट, चिकित्सा क्रीड़ा सामग्री, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की पूर्ति इसी क्रीडा छात्रावास मद से की जाती है। क्रीड़ा छात्रावास के संचालन हेतु वर्ष 2020-21 की जिला योजना के क्रीड़ा छात्रावास के संचालन मद में रू0 22.00 लाख (रूपये बाईस लाख मात्र) की धनराशि जनहित में प्रस्तावित है।

5- प्रकीर्ण व्ययः- इस योजना के अन्र्तगत समय≤ पर विभिन्न स्थानों के भ्रमण आदि किराये पर वाहन की व्यवस्था करने, आतिथ्य जलपान, विभिन्न समारोहों आदि को क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना से क्षेत्रीय स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने सम्भाव्य क्षमता, योग्यता के अनुकूलतम लाभ के लिये आवस्थापना सुविधाओं के सृजन, रख-रखाव से अधिकतम रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि होती है। यह योजना दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में संचलित की जाती है तथा दीर्घकालीन कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाता है। वर्ष 2020-21 की जिला योजना प्रकीर्ण मद में रू0 22.00 लाख (रूपये बाईस लाख मात्र) की धनराशि जनहित में प्रस्तावित है।

अतः वर्ष 2020-21 की जिला योजना में कुल 110.00 करोड़ (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि जनहित में प्रस्तावित है।

मैनुअल- 12. अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रम के क्रिवान्नयन की रीति -

ज़िला खेल कार्यालय देहारादून के अधीन/राज्य सहायता का कोई प्रविधान नहीं है|

मैनुअल- 13- रियायतों, अनुगयपत्रो तथा प्राधिकारों के संबंध में विवरण -

ज़िला खेल कार्यालय देहारादून द्वारा रियायतों, अनुगयपत्रो तथा प्राधिकारों के संबंध में विवरण का कोई प्रविधान नहीं है|

मैनुअल- 14- किसी एलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्योरा -

ज़िला खेल कार्यालय में वर्तमान में एलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना उपलब्ध है|

मैनुअल- 15- सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्राप्त सुविधोओ का विवरण -

1 ज़िला खेल कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर
2 समाचार पत्रों के माध्यम से
3 पत्राचार के माध्यम से
4 email address: dsodehradun@gmail.com

मैनुअल- 16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां-

जिला खेल कार्यालय, पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून के लोक सूचना अधिकारियों/पद नाम/अन्य विवरण:-

क्र.सं.	जिला	नाम	पद	लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी	फोन नं.
1	देहरादून	राजेश ममगाई	जिला क्रीडा अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	9410148428
2		शबाली गुरूंग	उपक्रीडा अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	7895427248

मैनुअल- 17 ऐसी कोई अन्य सूचना जो विहित की जाय- शून्य|